नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

# अनुसूची

### तहसील : ब्यावरा

जिला: राजगढ

क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत

अधिकारी का नाम

(1) (2)

(3)

- 1. मूल ग्राम—शाहपुरा प.ह.नं. 13.
- अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित),
- मूल ग्राम—परसूलिया प.ह.नं. 12.
- जिला राजगढ़.

3. नवीन ग्राम—संजयग्राम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-33-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-33-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

## Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-33-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

#### **SCHEDULE**

## Tahsil: Biaora

District: Rajgarh

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(1) (2) 1. 1. Org. Vill.—Shahpur (3)

- 1. 1. Org. Vill.—Shahpura P.H.No.—13.
- Superintendent of Land Records (Regular),
- 2. Org. Vill.—Parsooliya P.H.No.—12.
- District—Rajgarh.
- 3. New Vill.—Sanjay Gram.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

## भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-34-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

# अनुसूची

तहसील : बड़नगर

जिला : उज्जैन

क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(1) (2)

- (3)
- 1. मूल ग्राम—भाटपचलाना
  2. नवीन ग्राम—सावंतपुरा

प.ह.नं. 01.

- अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला उज्जैन.
- मूल ग्राम—अमला
  नवीन ग्राम—अर्जुनाखेड़ी
  प.ह.नं. 86.
- 3. 1. मूल ग्राम—कायथा
  - नवीन ग्राम—रामपुरा
    प.ह.नं. 98.
- 4. 1. मूल ग्राम—रूपेटा
  - नवीन ग्राम—भडला प.ह.नं. 27.
- 5. 1. मूल ग्राम—चितावद
  - नवीन ग्राम—चितावदखेड़ा
    प.ह.नं. 12.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-34-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-34-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

#### Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-34-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

#### **SCHEDULE**

### Tahsil: Badnagar

District: Ujjain

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

 $(1) \qquad (2)$ 

(3)

- Org. Vill.—Bhatpachlana Superintendent of Land
  New Vill.—Sawantpura Records (permanent),
  P.H.No.—01. District—Ujjain.
- Org. Vill.—Amla
  New Vill.—Arjunakhedi
  P.H.No.—86.
- Org. Vill.—Kaytha
  New Vill.—Rampura
  P.H.No.—98.
- Org. Vill.—Rupeta
  New Vill.—Bhadla
  P.H.No.—27.
- Org. Vill.—Chitawad
  New Vill.—Chitawadkheda
  P.H.No.—12.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

## भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-35-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित

अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:--

## अनुसूची

तहसील : विदिशा

जिला : विदिशा

क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(1) (2)

(3)

मूल ग्राम—धमनोदा
 नवीन ग्राम—ग्रन्ट
 प.ह.नं. 23.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला विदिशा.

1. मूल ग्राम—िकरमची बंधेरा
 2. नवीन ग्राम—बंधेरा
 प.ह.नं. 71.

### तहसील : सिरोंज

जिला : विदिशा

 मूल ग्राम—कोरवाई
 नवीन ग्राम—फजलपुर प.ह.नं. 03. अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा.

- मूल ग्राम—नरखेड़ा जागीर
  नवीन ग्राम—सेमरा
  प.ह.नं. 04.
- मूल ग्राम—घुटुआ
  नवीन ग्राम—कंदराखेड़ी
  प.ह.नं. 22.
- मूल ग्राम—बरेण्डा
  नवीन ग्राम—सारंगपुर
  प.ह.नं. 38.
- मूल ग्राम—सेमलखेड़ी
  नवीन ग्राम—चकना
  नवीन ग्राम—भोजपुर
  प.ह.नं. 39.
- मूल ग्राम—धानौदा
  नवीन ग्राम—समदपुर
  प.ह.नं. 40.
- 1. मूल ग्राम—चाठौली
  2. नवीन ग्राम—हबीबगंज प.ह.नं. 42.
- 10. 1. मूल ग्राम—संतोषपुर2. नवीन ग्राम—नूरपुरप.ह.नं. 52.